पीठासीन अधिकारी पर्वत सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 68/2009

उनवान मुकदमा

1 मांगीलाल पुत्र कोदरा जाति सरगडा आयु वयस्क निवासियान श्री रामकॉलोनी बांसवाडा तहसील जिला बांसवाडा (राज.)
2 श्री सूरज पुत्र कोदरा जी जाति सरगढा निवासियान श्री रामकॉलोनी बांसवाडा तहसील जिला बांसवाडा (राज.)

वादीगण

बनाम

1 श्री देवा पुत्र रामाजी चमार जाति आयु 50 वर्ष निवासी बांसवाडा
2 श्री कोदरा पुत्र विठला जी जाति सरगडा आयु 80 वर्ष निवासियान श्री रामकॉलोनी बांसवाडा तहसील जिला बांसवाडा (राज.)

अभिभाषक वादी मुकेश द्विवेदी
(एक तरफा बहस सूनी गई)
प्रतिवादी अभिभाषक अनुपस्थित

प्रतिवादीगण

धारा अन्तर्गत धारा 88,188, आर.टी.एक्ट1955
निर्णय

दिनांक : 27.01.2020

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है । प्रस्तुत वाद मे वादीगण ने कथन किया की वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 पुत्र व पिता के मध्य का रिश्ता है , और उनका पैतृक खाता ग्राम भवानपुरा की जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के अनुसार खाता नंबर 29 नया व 27 पुराना का खसरा जमाबंदी संवत् 197/111 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा एवं सर्वे नंबर 78 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा कुल खेत 02 कुल रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा तहसील एवं जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 उक्त खाते की भूमि के संयुक्त स्वामी व अधिपति है ,सयुक्त रूप से काबिज है तथा कोई भी पक्ष किसी भी सर्वे नंबर का एक मात्र सम्पूर्ण अधिपति एवं खातेदार नहीं है, तथा वादीगण एवं प्रतिवादी नंबर 02 का उक्त खाते के दोनों सर्वे नंबरान की कृषिभूमि 03 बीघा 06 बिस्वा पर प्रत्येक इंच जमीन पर अधिपत्य एवं हक व अधिकार है । वादीगण व प्रतिवादी नंबर 02 का खाता नंबर 29 पैतृक है एवं उक्त खाता सन् 1940–41 में खाता नंबर 14 एव आगे सेटलमेन्ट वर्ष संवत् 2026 से 2029 में खाता नंबर 17 राजस्व खाते में वादीगण के दादा कालिया जो पुत्र विठलाजी जाति सरगडा निवासी बांसवाडा के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा वादीगण के दादाजी की मृत्यु के उपरान्त सन् 1977 में वारिसान की हैसियत से उक्त खाता प्रतिवादी नंबर 02 के नाम दर्ज करा दिया , जबकि वादीगण हिन्दूधर्म से शासित होकर हिन्दूउत्तराधिकार अधिनियम 1956 व उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के कानूनी प्रावधान से शासित होते है एवं उक्त उत्तराधिकार के प्रावधानों के तहत ही दादा व पिता की सम्पत्ति पर पुत्र–पौत्र के जन्म होते ही उत्तराधिकार के अधिकार निहीत हो जाते है । उक्त सर्वे नंबर की भूमि पर वादीगण के मकानात भी बने हुवे है तथा जन्म से ही वादीगण उक्त भूमि पर निवास कर रहे है । प्रतिवादी संख्या 02 वृद्व व्यक्ति होकर अक्षम तथा अपना भला बुरा समझने में भी असमर्थ है, इसका फायदा प्रतिवादी नंबर 01 ने लेकर सम्पूर्ण भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 14.07.2009 को अपने नाम करा लिया तथा वादीगण की सहमति भी लेना उचित नहीं समझा जो अनाधिकृत रूप से धोखा देकर नाजायज लाभ उठाने हेतु विक्रय किया गया है जो अवैध है तथा काबिले खारिज है । वाद का कारण वादीगण की कब्जेशुदा आराजी नंबर 197/111 व सर्वे नंबर 78 में बाधा व

रूकावट पैदा करने,झगडा फसाद करने व वादीगण व प्रतिवादी नंबर 02 के संयुक्त पैतृक खाते की भूमि में बाला–बाला वादीगण की जानकारी लिये बिना ,बिना सहमति के विक्रयपत्र तैयार कराकर अपने नाम से नामान्तकरण करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने के कारण उत्पन्न हुआ है । प्रतिवादी नंबर 01 के विरूद्व वादीगण के हक में इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे दिनांक 03.12.2009 को वादीगण द्वारा संशोधित शिर्षक प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 2 कोदरा पुत्र विठला टंकण में सहवन से गलत लिखा गया है । जिसे कोदरा पिता कालिया पढा जाय प्रतिवादीगण को न्यायालय में उपस्थित होने सम्मन भिजवाये गये। दिनांक 06.01.2010 से 30.03.2012 तक तलबी हेतु सम्मन भी भिजवाये गये प्रतिवादी की और से दिनांक 30.04.2012 को श्री मणिलाल यादव का वकील पत्र पेश हुआ जो पत्रावली में शामिल किया गया पत्रावली में दिनांक 30.03.2012 से 11.03.2013 तक जवाब प्रस्तुत नही होने पर व न्यायालय में प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से दिनांक 18.04.2013 को प्रतिवादीयो का जवाब बंद किया गया । वकील वादी ने साक्ष्य में दिनांक 27.08.2013 को श्री मांगीलाल पिता कोदरा व हलीया पिता प्रताप के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

प्रर्दश – 1 श्री मांगीलाल ने आदेश नियम 4 सी.पी.सी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया व कथन किया की हम वादी एवं प्रतिवादीगण प्रतिवादी संख्याा 02 उक्त खाते की भूमि के संयुक्त स्वामी व अधिपति है । सयुक्त रूप से काबिज है तथा कोई भी पक्ष किसी भी सर्वे नंबर का एक मात्र EXCLUSIVE एवं खातेदार नहीं है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी नंबर 02 का उक्त खाते के दोनों सर्वे नंबरान की कृषिभूमि 03 बीघा 06 बिस्वा पर प्रत्येक इंच जमीन पर अधिपत्य एवं हक व अधिकार है । सर्वे नंबर 197/111 , 03 बीघा 06 बिस्वा वाके मौजा भवानुपरा तहसील एवं जिला बांसवाडा राजस्थान में स्थित है । यह वाद पत्र मेने खातेदार घोषित कराने एवं निषेधाज्ञा का पेश किया है ।

प्रर्दश –2 श्री हलीया ने आदेश नियम 18 नियम 4 सी.पी.सी शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने कथन में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पैतृक खाते के सर्वे नम्बर की भूमि होते हुवे तथा उक्त भूमि पर वादीगण के मकानात स्थित होने एवं पैतृक खाते का विभाजन ना होते हुए वादीगण की बिना सहमति के गैरकानूनन व बदनियती से नाजायज लाभ उठाने हेतु एकमात्र स्वामित्वका आधिपत्य बताकर उक्त विक्रय–पत्र दिनांक 14.07.2009 के द्वारा विक्रय किया गया हैं जो अनाधिकृत पूर्ण खातेदार ना होते हुए भी धोखा देकर नाजायज लाभ उठाने हेतु एकमात्र स्वामित्व व आधिपत्य बताकर उक्त विक्रय –पत्र दिनांक 14.07.2009 के द्वारा विक्रय किया गया हैं जो अनाधिकृत पूर्ण खातेदार ना होते हुवे भी धोखा देकर नाजायज लाभ उठाने हेतु विक्रय किया गया है, जो अवैध एवं Null and Void तथा काबिले खारजी है । प्रतिवादी संख्या 1 खेत नम्बर 197/111 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा व सर्वे नम्बर 78 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा का खातेदार नहीं है तथा उसकी खातेदारी गैर कानूनन होने से काबिले खारजी हैं एवं वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 खेत नम्बर 197/111 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा व सर्वे नम्बर 78 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा का सहखातेदार कृषक घोषित किये जाने की डिक्री जारी करने के अधिकारी हैं ।

प्रकरण में फर्द दस्तावेज पेश किये गये जिसमें नकल जमाबंदी संवत् 2065–68,नकल खसरा गिरदावरी संख्या 2065–68 ,नक्षा ट्रेस ,नकल जमाबंदी संवत् 2033–36,नकल जमाबंदी 2037–40,नकल जमाबंदी संवत् 2050–53, नकल सेटलमेंट, नकल नामान्तरण वादी द्वारा पेश किया गया ।

उक्त प्रकरण की बहस हेतु दिनांक 15.01.2020 निहित होने से को वादी/प्रतिवादी अभिभाषक को न्यायालय में बहस हेतु आवाज लगाई गई वादी वकील उपस्थित हुवे प्रतिवादी को दो तीन बार आवाजे लगाई गई फिर भी उपस्थित नही अतः एक तरफा बहस सुनी गई वादी अभिभाषक श्री मुकेश द्विवेदी उपस्थित होकर अपने कथन में कहां की मूल भूमि सेटलमेन्ट संवत 1940–41 से भूमि कालीया पिता विठला के नाम दर्ज हुई । हम हिन्दू उत्तराधिकार के नियम से शासित है । कोदरा ने भूमि बेच दी । प्रर्दश 13 के अनुसार हम काबिज है, तत्पश्चात भूमि विक्रय पत्र निष्पादित हुआ है। हम प्रार्थी कोदरा के लडकें है । कोदरा के नाम भूमि विरासत से आई थी हमारे पिता कोदरा ने देवा को जो भूमि बेची वह बेचान प्रारम्मत शून्य है । कोदरा ने भूमि देवा

को जरिये रजिर्स्टड पंजीयन बेची है । जब भूमि विक्रय हुई तत्समय भूमि कोदरा के नाम दर्ज थी । देवा ने कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं किया । भूमि पर आज भी हमारा कब्जा है । उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र का नामान्तकरण आज दिनांक तक नही खूला है । अतः भूमि हमारे नाम की जावे ।

आदेश

पत्रावली पर उपलब्ध वाद पत्र, साक्ष्य,दस्तावेंजो,व बहस में प्रस्तुत अभिकथनों के आधार पर यह आदेश दिया जाता है कि भूमि को खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 कोदरा पुत्र विठला ने अपने नाम खातेदार होते हुए में विक्रय की है । तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने क्रय की है । तथा वाद पत्र में वर्णित भूमि को खातेदार कृषक द्वारा विक्रय किया है, जो की विक्रय करने का अधिकार खातेदार को कानून प्रदत्त है । अतः वादी का वाद पोषणीय नही पाये जाने से खारिज किया किया जाता है । वाद खर्च समस्त पक्षकार अपना अपना वहन करे । पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम की जावे । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 सरे इजलास सुनाया वादी का वाद अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है ।

(पर्वत सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2020.02.14 11:44:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: